आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध अपील वाद सं0–71/13 मसोमात किरण देवी वनाम राज्य एवं अन्य

06/2015–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
04.7.2017	**आदेश** उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 71/2013 मसोमात किरण देवी वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया। अपील वाद में कहा गया है कि प्रखंड चौथम अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज नीरपुर के वार्ड संख्या–13 में मिनी केन्द्र हेतु आंगनबाड़ी सेविका के पद पर आवेदन दी थी। दिनांक 20.02.2011 को चयन संबंधी बैठक की सूचना उन्हें नहीं दी गयी। उन्हें विश्वस्त सुत्रों से जानकारी होने पर बैठक में उपस्थित हुई। वे मैट्रिक पास है तथा नियमावली कंडिका 4 में वर्णित कंडिका 4(1) से लेकर 4 (13) तक की सारी योग्यता पूरी करती है। जबकि पिंकु कुमारी भी मैट्रिक पास ही है। दोनों की योग्यता समान है। नियमावली की कंडिका 4(7) में यह वर्णित है कि विधवा उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना है। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम द्वारा नियमावली का उल्लंघन करते हुए समान योग्यता रहने के बावजूद विधवा उम्मीदवार को चयन से वंचित किया गया और पिंकु कुमारी का चयन किया जो नियमानुसार न्याय संगत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि चयन संबंधी बैठक में लाभुकों की संख्या लगभग 50–60 थी। जबकि नियमानुसार 40 प्रतिशत उपस्थित होने पर कोरम पूरा होता है। मैपिंग पंजी में लाभुकों की संख्या लगभग 700 है। और पिंकु कुमारी का चयन गलत ढंग से किया गया। उनका यह भी कहना है कि जिला प्रोग्रम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उनकी बातों को नहीं सुना गया और उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	

प्रतिवादी पिंकु कुमारी का कहना है कि दिनांक 20.02.11 को सेविका के पद पर वार्ड संख्या–13 ग्राम राज पंचायत नीरपुर में आंगनबाड़ी नियमावली निर्देशिका के अनुसार नियमानुकूल किया गया है, जिसमें आवेदिका भी उपस्थित थी। नियमावली की कंडिका–4.1 से कंडिका 4.4 तक सम्पूर्ण योग्यता रखने के कारण उनका चयन किया गया है। उनका मेघा क्रमांक 56.6 प्रतिशत है, जबकि आवेदिका का 42.3 प्रतिशत है। नियमावली की कंडिका 5.3 में विधवा को प्राथमिकता के तौर पर 7 अंक बोनस के रूप में दिया जाता है जिससे भी आवेदिका का मेघा अंक 49.3 प्रतिशत होता है। जबकि उनका मेघा अंक 56.6 प्रतिशत है। आमसभा द्वारा किरण देवी अयोग्य करार दिया गया है। उनका कहना है कि आवेदिका द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके ससुर नौकरी करते हैं जबकि उनके ससुर की मृत्यु दिनांक 10.11.2008 को ही हो गयी है। आवेदिका की गोतनी तथा देवर दोनों सरकारी नौकरी में है और यह तथ्य आवेदिका द्वारा छिपा लिया गया है। वर्त्तमान में आवेदिका की गोतनी रिंकु देवी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है तथा देवर बिजली बोर्ड में काम करता है। यह भी तथ्य छिपा लिया गया है कि आवेदिका भी खुद अर्धसरकारी बिहार जीविका में सी0एम0 के पद पर कार्यरत है जिसे बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इस तथ्य को छुपा कर गैर कानूनी कार्य किया है। उनका आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु नियमावली के अनुसार सम्पूर्ण योग्यता रखने के कारण आम सभा द्वारा चयन किया गया है। अतएव आवेदिका का आवेदन खारिज किया जाय।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि आवेदिका किरण कुमारी विधवा है तथा मैट्रिक पास है, प्रतिवादी चयनित सेविका पिंकू देवी भी मैट्रिक पास है। दोनों की योग्यता समान है। अतः सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2010 की कंडिका 04 (07) के अनुसार विधवा उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना है। किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम द्वारा नियमावली के उल्लंघन करते हुए समान योग्यता रहने के बावजूद दिनांक 20.02.2011 को सम्पन्न हुए आमसभा में प्रतिवादी पिंकू देवी का चयन किया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि चयन समिति बैठक में लाभुक की सं0 50–60 थी जबकि नियमनुसार 40 प्रतिशत उपस्थित होने पर कोरम पूरा होना है। कुल लाभुको की सं0 लगभग 700 है। अतः चयनित सेविका पिंकू देवी (प्रतिवादी) के चयन को रद्द किया जाय तथा अवेदिका मसोमात किरण कुमारी को चयन का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी पिंकु कुमारी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि पिंकू देवी का मेधा अंक 56.6 प्रतिशत है जबकि

आवेदिका को मात्र 42.3 प्रतिशत है। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आमसभा सम्पन्न हुई तथा आमसभा में पिंकू देवी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि समान मेधा अंक रहने पर ही विधवा उम्मीदार को प्राथमिकता देना है। अतः प्रतिवादी पिंकू देवी का चयन आमसभा में मेधा अंक के आधार पर किया गया। अतः आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 50, दिनांक 12.01. 2011 के निदेशानुसार समान मेधा अंक रहने पर विधवा को प्राथमिका देना है। सूचना प्रसारित करने के बावजूद भी लाभुक वर्ग से 56 लोग उपस्थित हुए। अतः मेधा अंक के आधार पर पिंकू कुमारी का चयन किया गया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम ने अपने पत्रांक 121 दिनांक 19.07.2011 से प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 20.02.11 को चौथम प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज नीरपुर के वार्ड सं0–13 में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था। उक्त आमसभा में चार आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र समर्पित किया गया था। मेघा सूची के अनुसार श्रीमती पिंकु कुमारी को अधिक योग्य पाया गया उसका अंकों का प्रतिशत 56.2 प्रतिशत एवं किरण कुमारी का प्रतिशत 42.1 है। मार्गदर्शिका की कंडिका 4.7 में विधवा उम्मीदवार का चयन में प्राथमिकता देनी है। परन्तु प्रशिक्षण पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0, बिहार पटना के निदेशानुसार समान मेघा अंक रहने पर विधवा को प्राथमिकता देना है। आम सभा में उपस्थित लोगों एवं अध्यक्ष के द्वारा बतलाया गया कि मसोमात किरण देवी स्वयं सहायता ग्रूप के सी0एम0 है और लाभ के पद पद कार्यरत है। आमसभा वृहत सूचना प्रसारित करने के बावजूद भी लाभुक वर्ग से 56 लोग ही उपस्थित हुए।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुसार सही है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया किया ।

उपभयपक्षों द्वारा समर्पित ब्यान, आमसभा की पंजी एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका किरण कुमारी का मेधा अंक 42.3 प्रतिशत है तथा मैट्रिक है तथा विधवा है। पिंकू देवी का मेधा अंक 56.63 प्रतिशत है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया ने पत्रांक 50 दिनांक 31.01.2011 के द्वारा

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोगरी को पत्र लिखा गया है जिसमें उल्लेखित है कि "अंकित पृच्छा के संबंध में कहना है कि आई0सी0डी0एस0, निदेशालय, बिहार, पटना के बाते स्पष्ट की गई है :–'क' समान मेघा अंक रहने पर विधवा/परित्यकता एवं सहायिका को प्राथमिकता देनी है"। इस पत्र की प्रति सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया जिला को भी दी गई है। अभिलेख में यह पत्र संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि चयन मार्गदर्शिका 4.8 मे उत्पन्न संदेह (Confusion) के आधार पर ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पृच्छा की गयी थी। जिसका स्पष्टीकरण निदेशालय से प्राप्त कर सभी बाल विकास पदाधिकारी, खगड़िया को दी गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा भी चयन मार्गदर्शिका 2006 का भी अवलोकन किया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेखित है "समान मेधा अंक रहने पर भी संबंधित लाभुक वर्ग की विधवा/परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट होता है कि निस्संदेह आम सभा में कोरम का अभाव था। प्रचार–प्रसार के बाद भी कोरम पूरा नहीं हुआ है। किन्तु स्पष्ट है कि मेधा अंक श्रीमती पिंकू का आवेदिका किरण कुमारी से अधिक है। परन्तु जिस आमसभा में पिंकू कुमारी का चयन किया गया है उसमें कोरम का अभाव था। कोरम के अभाव में उक्त आमसभा नियमानुसार नहीं मानी जायेगी। नियमानुसार कोरम के अभाव होने के कारण उक्त आमसभा को रद्द किया जाना चाहिए था और अगली आमसभा आयोजित कर निर्णय लिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 02.09.2013 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार आमसभा आयोजित कर सेविका के चयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाय। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
खगड़िया।

न्यायालय समाहर्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 302 /विधि, दिनांक 7-9-17 प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 7/9/2017 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया।	